न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 105/2018

अनवान :

1. जयसिंह पुत्र श्री संतलाल जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– वादी

बनाम

1. संतलाल पुत्र श्री पतराम जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. दलीपसिंह पुत्र संतलाल जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. मैना देवी पुत्री संतलाल जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग : **वादी**

वकील श्री सुरेन्द्र बैनीवाल : **प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3**

निर्णय दिनांक :

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मलसीसर के खाता सं0 290/292 के खसरा सं0 445/1 की 11.8870 है0 बारानी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो कि संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिकी सम्पति है व प्रतिवादी सं0 1 को विरासतन में अपने पिता से प्राप्त हुई है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 के साथ साथ वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 व 3 का भी जन्म से हक व हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 3 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में बहिस्सा बराबर हक तर्क कर दिया है एवं कृषि भूमि केवल मात्र वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 की कब्जा काश्त चली आ रही है। इस प्रकार विवादित कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 प्रत्येक 1/3–1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है बाद करने उक्त घोषणा तदानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 4 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी जयसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, सत्य फोटो प्रतिलिपि नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम मलसीसर प्रदर्श 2, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम मलसीसर खाता सं0 290/292 सम्वत् 2071/74 प्रदर्श 3, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग ग्राम मलसीसर सम्वत् 2020 प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

सहायक कलक्टर (हनु.)

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम मलसीसर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्य फोटो प्रतिलिपि नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम मलसीसर प्रदर्श 2, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग ग्राम मलसीसर सम्वत् 2020 प्रदर्श 4 पेश की है उनसे विवादित कृषि भूमि पहले वादी के दादा पतराम वल्द फुसा की खातेदारी होना व उसके बाद तहसीलदार भादरा के आदेश क्रमांक भू0अ0/92/4013 दिनांक 29.08.92 द्वारा संतलाल के नाम से खसरा सं0 445 का विभाजन कर व 445/1 में तबदील होकर दर्ज किया जाना व विवादित कृषि भूमि दादालाइ पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से सन्तलाल के वारिसान में पत्नि सुन्दरदेवी, दो पुत्र जयसिंह, दलीपसिंह व एक पुत्री मैनादेवी होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित किया है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम मलसीसर के खाता सं0 290/292 के खसरा सं0 445/1 की 11.8870 है0 बारानी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 3 ने अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग दी है, इसलिए त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 1-6-18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 105/2018

अनवान :

1. जयसिंह पुत्र श्री संतलाल जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- वादी

बनाम

1. संतलाल पुत्र श्री पतराम जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. दलीपसिंह पुत्र संतलाल जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. मैना देवी पुत्री संतलाल जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिहाग एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 श्री सुरेन्द्र बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम मलसीसर के खाता सं0 290/292 के खसरा सं0 445/1 की 11.8870 है0 बारानी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 3 ने अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग दी है, इसलिए त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 1-6-18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़